

AC-II
 शिवमानाश्रम
 14/2020

लालाराम वनाश्रम प्रबन्धक

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरत रंग सं.
	19/8/20	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्राची उपरी प्राची का मूलवाद स्वीकार विषय जाकर मोहिम ईडी किया जा चुका है, व प्रार्थना - फा मजबूती निषेधात्र खारिज किया जा चुका है मूल प्रारूप प्रवधानों को बलापि जाने का कौरे शोचित नहीं है मूल प्राची का प्रारूप खारिज किया जाता है। पत्रावली में त्रुटि होकर दफ्तर में से कम होकर दाखल दफ्तर हो। निर्णय भाग दिनांक 19/8/20 को सिखाया जाकर फते अल्लान (प्राची प्रमा)</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय </p>